



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59014-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 10731 वर्ष 2026

कुमार पाल और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुनील कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आदित्य भूषण सिंघल, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार पांडे, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अखिलेशवर सिंह और प्रतिवादी - यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येइडा) के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.बी. सिंघल की बात सुनी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"क) परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि, जैसे कि अराजी संख्या 1169 (क्षेत्रफल 0.1140 हेक्टेयर), अराजी संख्या 1170 (क्षेत्रफल 0.1140 हेक्टेयर), अराजी संख्या 1171 (क्षेत्रफल 0.0890 हेक्टेयर) और अराजी संख्या 1172 (क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर), जो ग्राम-मेहंदीपुर बंगर, परगना और तहसील- जेवर, जिला- गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, का मुआवजा ब्याज सहित इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अदा करें।"

ख) परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि वह तहसीलदार जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर के दिनांक 25.04.2022 के पत्र पर, जो उसके समक्ष लंबित है, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कानून के अनुसार निर्णय ले।

सी) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

डी) याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि के स्वामी हैं, जिसका अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि अवार्ड दिनांक 12.08.2016 को जारी किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दिल्ली में रहते हैं और उन्हें दिनांक 12.08.2016 के अवार्ड की कोई जानकारी नहीं थी, हालांकि अन्य भूमिधारकों को इसके अनुसार मुआवजा मिल चुका है। उन्होंने प्रस्तुत अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया कि, अवाई की जानकारी मिलने पर, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने संबंधित तहसीलदार, तहसील जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा किए गए एक पृष्ठांकन पर भरोसा किया है, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है। अतः, वह निवेदन करता है कि प्रतिवादी, अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), जिला गौतम बुद्ध नगर को निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के दावे पर कार्रवाई करें और दिनांक 12.08.2016 के निर्णय के तहत देय वास्तविक मुआवजे का भुगतान करें।

4. प्रतिवादी - येड़डा के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.बी. सिंघल ने उचित रूप से निवेदन किया कि यदि मामला सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और इस पहलू की जांच, सबसे पहले, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा की जा सकती है, बशर्ते कोई अन्य बाधा न हो।

5. मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, याचिका को विचाराधीन रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

6. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण इस अवलोकन के साथ किया जाता है कि, यदि याचिकाकर्ताओं का प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि पर अधिकार, स्वामित्व और दावा है, तो उन्हें देय मुआवजा बिना किसी अनुचित देरी के वितरित किया जाए, विशेषकर तब जब अवधि 12.08.2016 को दी गई थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के मुआवजे के वितरण के दावे पर, कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कार्रवाई करें, बशर्ते कोई बाधा न हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

23 मार्च, 2026

एनएलवाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।